मांगु (वादी)

[illegible] प्रतिवादी सं. 1

04/05/2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प लेसवा पर प्रस्तुत हुई। लोक अदालत कैम्प में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] । ने जाहिर किया कि ग्राम लेसवा में उसके आबादी का पट्टा है जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई उक्त वादी अपनी कृषि आराजी बता रहे हैं।

वादी द्वारा 183, 188 के तहत दायर है कि वादी इस मामले का मांग है कि वादी की खातेदारी आराजी मौजा पालिया की ख. नं. 456 रकबा 2.83 हैक्टेयर की भूमि की पत्थरगढ़ी कायम गई जिसके पर्चा मौका दि. 5/6/2017 अनुसार ख.नं. 456 में पूर्व की तरफ 6 गट्टे भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है जो हटवाया जाकर प्रति. सं. 1 द्वारा कब्जा खुदा जमीन पुनः वादी को दिलवाया जावे।

प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर भी पेश नहीं कोल जवाब मौके से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गए।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दि० 05/6/2017 से प्रमाणित है कि वादी की वर्णित आराजी [illegible] 6 गट्टा नं० 456 में [illegible] है भूमि पर [illegible] कब्जा [illegible] की हद पालिया [illegible] लेसवा [illegible] है प्रतिवादी की [illegible] दि. 20/11/84 जारी पट्टा क्रमांक 203 की फोटो कॉपी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत पट्टा ग्राम लेसवा का है तथा विवादित आराजी ग्राम पालिया की है किन्तु पत्थरगढ़ी एक ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested

वादी एंव प्रतिवादी को सुना गया। प्रति. क्र. 1 का कथन है कि मैंने पट्टे की जमीन को नहीं छेड़ा जाव मेरा कोई कब्जा नहीं है।

वादी ने कथन किया कि मेरी पाटलिया की आराजी में प्रति. क्र. 1 ने नाजायज कब्जा कर लिया है पत्थरगढ़ी में 6 गट्ठा भूमि पर प्रति. क्र. 1 का कब्जा है जो वादी को वापस दिलाई जावे। प्रस्तुत नक्शे पर मान किया जावे।

समग्र विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है वादी आंशिक रूप से कि मौजा पाटलिया की आ. नं. 456 रकबा 2.83 हेक्टेयर भूमि जो कि वादी व दिगर खातेदारान के खतौनी में दर्ज है जिसकी दि. 05/06/2017 अनुसार पत्थरगढ़ी पश्चात मौका में 6 गट्ठा भूमि आ० नं० 456 के पूर्व दिशा में अवैध नाजायज कब्जा पर प्रतिवादी क्र. 1 का हटवाया जाकर उक्त भूमि वादी को सुपुर्द कराई जावे तथा प्रतिवादी क्र. 1 की पट्टे शुदा भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जावे। प्रतिवादी क्र. 1 अपने पट्टे शुदा भूमि का उपयोग उपभोग अपने हेतु स्वतन्त्र रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में आम पक्षकारान के पश्चात लिखकर सुनाया गया। इसी [illegible] जावे। [illegible] जावे। नायब [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:08:57 IST
Reason: SelfAttested